

प्रपत्र-1-नियम 8 (1)
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

**इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/
 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन/विकलांगता राहत भत्ता/
 विधवा परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन/कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता के लिये
 प्रार्थना-पत्र**

प्रार्थी का
 पासपोर्ट
 साईज
 फोटोग्राफ

1. प्रार्थी का नाम :
2. जन्म तिथि :
3. जाति :
4. व्यवसाय :
5. क्या बी०पी०एल० परिवार से सम्बन्धित है :
6. यदि हां, तो परिवार की बी०पी०एल० संख्या :
सर्वेक्षण वर्ष सहित ।
7. पिता/पति का नाम :
8. परिवार के मुखिया का नाम :
9. वर्तमान रिहायश का पता :
10. स्थाई पता :
11. यदि पिता/पति जीवित नहीं है तो संरक्षक :
का नाम व उससे नाता ।
12. परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा (पति/पत्नी/पुत्रों/पुत्रियों का विवरण दें)

क्र० सं०	नाम	आयु	नाता	व्यवसाय	पंचायत परिवार रजिस्टर की परिवार संख्या व पृष्ठ संख्या	समस्त स्रोतों से वार्षिक आय (राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित)	राशन कार्ड संख्या	मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या	दूरभाष/मोबाईल संख्या, यदि हो

13. प्रार्थी की शिक्षा :
14. क्या प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्य को किसी प्रकार की सहायता पेंशन सरकार से मिलती है ? यदि हाँ, तो उसका नाम, मासिक राशि/स्रोत ।

15. सम्पत्ति की व्याख्या और उसकी कीमत :

(क) परिवार के नाम कुल भूमि :

(ख) बैंक में जमा राशि व डाकघरों का बचत :

खाते में जमा राशि का विवरण ।

(ग) भूमि से वार्षिक आय :

(घ) अन्य साधनों से वार्षिक आय :

(ङ) कुल वार्षिक आय

16. प्रार्थी के नाम बैंक/डाकघर में बचत खाते का विवरण :

(क) बैंक/डाकघर का नाम जहां खाता है :

(ख) खाता संख्या :

17. प्रार्थी का आधार नम्बर :

18. दो व्यक्तियों के नाम पूरे पते जो प्रार्थी को भली-भांति जानते हों और प्रार्थी की वास्तविकता को बतला सकें

(1) नाम व पूरा पता

(2) नाम व पूरा पता

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पैड की स्याही के साथ)

घोषणा

मैं सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ग्राम
डाकघर तहसील जिला सत्यानिष्ठा लेकर अपने ज्ञान से अभ्युष्टि पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूं कि उक्त तथ्य मेरे प्रतिज्ञान से सही हैं । इनमें कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई बात छिपाई गई है । मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि इससे पूर्व मैं कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूं ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पैड की स्याही के साथ)

- नोट.-**
- यदि प्रार्थी विकलांग है तो जिला चिकित्सा बोर्ड से जारी स्थाई प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करें ।
 - यदि प्रार्थी कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो जिला कुष्ठ रोग निवारण अधिकारी से प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।
 - यदि प्रार्थी विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी है तो पंचायत सचिव का प्रमाण-पत्र तथा तीन रुपये की अस्टाम पेपर पर शपथ-पत्र सम्बन्धित दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर संलग्न करें ।

सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/
गांव/शहर..... डाकघर..... पिन..... जिला.....
हिमाचल प्रदेश का/की स्थायी निवासी है ।

आगे प्रमाणित किया जाता है :-

- (1) प्रार्थी की आयु पंचायत/शहरी निकाय के रिकॉर्ड अनुसार..... वर्ष..... (शब्दों में) हैं ।
- (2) प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवार का सदस्य है तथा बी0पी0एल0 संख्या..... है ।
- (3) प्रार्थी.....विकलांगता से स्थाई/अस्थायी रूप से ग्रस्त है तथा विकलांगता..... प्रतिशत जिला चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है । (प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है) ।
- (4) प्रार्थी के पति की मृत्यु हो चुकी है तथा पुर्नविवाह नहीं किया है ।
- (5) प्रार्थी को पति ने छोड़ दिया है (तलाकनामा/शपथ-पत्र की प्रति संलग्न है) ।
- (6) प्रार्थी एकल नारी है (शपथ-पत्र संलग्न है) ।
- (7) प्रार्थी कुष्ठ रोग से ग्रस्त है तथा स्वास्थ्य विभाग के उपचाराधीन है । वह किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/निगमों/बोर्डों इत्यादि में कार्यरत नहीं है (शपथ-पत्र संलग्न है) ।
- (8) प्रार्थी का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या.....दिनांक क्रमांक.....पर चयन किया गया है ।
- (9) प्रार्थी की समस्त साधनों से वार्षिक आय.....रुपए (अंकों में)..... रुपए (शब्दों में) है ।
- (10) प्रार्थी की व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय रुपए (अंकों में)..... रुपए (शब्दों में) है ।
- (11) प्रार्थी (जो अपंग तथा अव्यस्क है) के माता-पिता/अभिभावक की समस्त साधनों से वार्षिक आय.....रुपये (अंकों में)..... रुपये (शब्दों में) है ।
- (12) क्रमांक (1), (2), (9), (10) तथा (11) के सम्बन्ध में मैंने जांच सम्बन्धित पंचायत/राजस्व विभाग से की है तथा इन तथ्यों सम्बन्धित प्रमाण-पत्र अनुबन्ध "क" तथा "ख" पर संलग्न है ।

उपरोक्त तथ्यों की जांच मैंने स्वयं पंचायत रिकार्ड तथा हल्का पटवारी से की है । रिपोर्ट के दृष्टिगत प्रार्थी पेंशन/भत्ता के पात्र/अपात्र है प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकृत/रद्द करने हेतु सिफारिश की जाती है ।

तहसील कल्याण अधिकारी ।
(मोहर व तिथि सहित)

नोट.-जो लागू न हो उसे काट दिया जाए तथा वास्तविक तथ्य रिपोर्ट किए जाएं ।

सम्बन्धित पंचायतों से जारी प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
 गांव/शहर डाकघर पिन
 तहसील जिला हिमाचल प्रदेश का/की स्थायी निवासी है ।
 पंचायत रिकॉर्ड अनुसार श्री/श्रीमति की आयु/जन्म तिथि.....
 है तथा उसके निम्नलिखित परिवार* के सदस्य हैं, जिनकी पंचायत रिकॉर्ड अनुसार आयु/जन्म
 तिथि/व्यवसाय का विवरण उनके नाम के सम्मुख है :-

क्रमांक	परिवार के सदस्यों का नाम	आयु/जन्म तिथि	नाता	कृषि के अतिरिक्त व्यवसाय

आगे प्रमाणित किया जाता है कि :-

2. श्री/श्रीमति गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवार से है, जिसकी बी0पी0एल0 संख्या..... है ।
3. श्री/श्रीमति तथा उनके परिवार के अन्य कोई भी सदस्य किसी भी पेंशन/भत्ता के धारक नहीं हैं ।
4. श्रीमति के पति की मृत्यु दिनांक को हो चुकी है तथा उसके उपरान्त पुर्नीविवाह नहीं किया है ।**

दिनांक

हस्ताक्षर पंचायत सचिव
 मोहर सहित ।

* "परिवार" से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां चाहे वे पंचायत परिवार रजिस्टर में अलग भी दर्शाए गए हों, परिवार की परिधि में आएंगे ।

**जो लागू न हो, उसे काट दिया जाए ।

वार्षिक आय प्रमाण-पत्र
(राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा)

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
..... गांव/शहर डाकघर पिन.....
तहसील जिला हिमाचल प्रदेश का/की स्थायी निवासी है ।
2. आगे प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति तथा परिवार* के सदस्यों
के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि व उससे होने वाली आय उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई
है :-

क्रमांक	प्रार्थी तथा परिवार के सदस्य का नाम	प्रार्थी से नाता	कुल भूमि	भूमि से वार्षिक आय	अन्य साधनों से वार्षिक आय

दिनांक

हस्ताक्षर हल्का पटवारी
मोहर सहित

* "परिवार" से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां चाहे वे पंचायत परिवार रजिस्टर
में अलग भी दर्शाए गए हों, परिवार की परिधि में आएंगे ।

तहसीलदार

मोहर सहित